

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक/ 57 /स्थापना-सेवा/2015 निम्नलिखित जिला पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स. क्र. | जिला पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रमेश कुम्भारे | मंदसौर | मुरैना |
| 2 | श्री ओ.पी. अम्ब | मुरैना | शिवपुरी |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय

निरंतर.....2

सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक क्र० 240 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री जिला पंजीयक,
.....मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक/58/स्थापना-सेवा/2015 निम्नलिखित जिला पंजीयक को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स. क्र. | जिला पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री पी.पी. शुक्ला | शिवपुरी | मंदसौर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय

निरंतर.....2

सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक क्र० 241 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त ग्वालियर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष, शिवपुरी/मंदसौर मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला पंजीयक, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री पी.पी. शुक्ला, जिला पंजीयक, शिवपुरी मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक / 59 / स्थापना-सेवा / 2015 निम्नलिखित वरिष्ठ उप पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स.क्र. | वरिष्ठ उप पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री जमील अहमद खान | भोपाल क.-1 | भोपाल क.-2 |
| 2 | श्रीमती रश्मि असीम सेन | भोपाल क.-2 | भोपाल क.-1 |
| 3 | श्री तेजलाल भोयर | बैतूल | मण्डला |
| 4 | श्री आर.एन. त्रिवेदी | मण्डला | बैतूल |
| 5 | श्री लखसिंह मरावी | जबलपुर क.-1 | कटनी |
| 6 | श्री एल.एल. जाटव | बुरहानपुर | खण्डवा |
| 7 | श्री नानाजी खरोले | खण्डवा | बुरहानपुर |
| 8 | श्री समरथमल राठौर | रतलाम | गुना |
| 9 | श्री संतोष सिंह पाल | गुना | दतिया |
| 10 | श्री दिनेश कौशले | होशंगाबाद | दमोह |
| 11 | श्री एम.एस. सिसौंदिया | छतरपुर | सीधी |
| 12 | श्री पी.के. सक्सेना | नीमच | शहडोल |
| 13 | श्री बालाप्रसाद मांझी | जीरापुर, जिला राजगढ़ | उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय जबलपुर |
| 14 | श्री राजेन्द्र प्रसाद मरकाम | छिंदवाड़ा | डिण्डोरी |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

निरंतर.....2

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० २५२/स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक / 60 / स्थापना-सेवा / 2015 निम्नलिखित वरिष्ठ उप पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स.क्र. | वरिष्ठ उप पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री देवेन्द्र पुरोहित | दमोह | होशंगाबाद |
| 2 | श्री यज्ञनारायण सिंह | कटनी | जबलपुर क.-1 |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी । इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।


(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश
निरंतर.....2

//2//

पृष्ठांक क्र० २५३/स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।



महानिरीक्षक पंजीयन

~~१६~~ मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक/ 61 /स्थापना-सेवा/2015 निम्नलिखित उप पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स. क्र. | उप पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री राहुल सिंह | पानसेमल, जिला बड़वानी | बदनावर, जिला धार |
| 2 | श्री आर.बी. सिंह | अनूपपुर | जबलपुर क.-1 |
| 3 | सुश्री भारती कोहद | इंदौर क.-2 | बुदनी, जिला सीहोर |
| 4 | श्रीमती केशरजहां कुरैशी | भोपाल क.-1 | आष्टा, जिला सीहोर |
| 5 | श्री राहुल कुमार बागड़े | बैतूल | भोपाल क.-2 |
| 6 | श्री लज्जाराम शर्मा | सारंगपुर, जिला राजगढ़ | भिण्ड |
| 7 | श्री कैलाशनारायण नागर | सीतामड, जिला मंदसौर | गैरतगंज, जिला रायसेन |
| 8 | श्री प्रभाकर सिंह | देवास | छतरपुर |
| 9 | श्री प्रदीप कुमार सोनी | घटिया, जिला उज्जैन | इंदौर क.-2 |
| 10 | श्री आनंद कुमार पाण्डेय | नटेरन, जिला विदिशा | इटारसी, जिला होशंगाबाद |
| 11 | श्री गोविंद शर्मा | इटारसी, जिला होशंगाबाद | महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय |
| 12 | श्री सुरेश डाबर | आलोट, जिला रतलाम | बुरहानपुर |
| 13 | श्री रामगोपाल अस्के | महेश्वर, जिला खरगोन | इंदौर क.-2 |
| 14 | श्री ओमप्रकाश फरक्या | बदनावर, जिला धार | इंदौर क.-3 |
| 15 | श्री बिसनसिंह गौड़ | चाचौड़ा, जिला गुना | जीरापुर, जिला राजगढ़ |
| 16 | श्री रामनारायण शाक्य | कैलारस, जिला मुरैना | देवरी, जिला सागर |
| 17 | श्री श्याम कुमार राय | डिण्डोरी | पथरिया, जिला दमोह |
| 18 | श्री बालेन्दुभूषण सिंह | भोपाल क.-2 | इंदौर क.-2 |
| 19 | श्रीमती नीता तंवर | इंदौर क.-2 | महेश्वर, जिला खरगोन |
| 20 | श्री गोरचंद परमार | जावरा, जिला रतलाम | ग्वालियर क.-2 |
| 21 | सुश्री मधुलिका सिंह | दोराहा, जिला सीहोर | भोपाल क.-1 |

निरंतर.....2

| स. क्र. | उप पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | सुश्री ज्योति रावत | खण्डवा | इंदौर क.-3 |
| 23 | श्री रमेशचन्द्र सेन | खिलधीपुर, जिला राजगढ़ | जिला पंजीयक कार्यालय राजगढ़ |
| 24 | श्री के.के. अरोरा | भाण्डेर, जिला दतिया | लवकुशनगर, जिला छतरपुर |
| 25 | श्री विवेक हिरदे | देपालपुर, जिला इंदौर | खरगोन |
| 26 | श्री संजय सिंह | इंदौर क.-2 | उज्जैन |
| 27 | श्री मोहनलाल नागले | कटनी | अनूपपुर |
| 28 | श्री हरिओम शर्मा | कोलारस, जिला शिवपुरी | शाजापुर |
| 29 | श्री एस.एल. शाक्य | पोहरी, जिला शिवपुरी | शयोपुर |
| 30 | श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान | शयोपुर | पोहरी, जिला शिवपुरी |
| 31 | सुश्री तनुप्रिया कुशवाह | नागौद, जिला सतना | अमरपाटन, जिला सतना |
| 32 | श्री के.के. तिवारी | अमरपाटन, जिला सतना | सतना |
| 33 | श्रीमती साधना सिंह | नलखेड़ा, जिला आगरमालवा | सिलवानी, जिला रायसेन |
| 34 | श्री बदीप्रसाद साहू | चौरई, जिला छिंदवाड़ा | बैतूल |
| 35 | श्री सुशील कुमार जैन | जबलपुर क.-1 | मुरैना |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा,

निरंतर.....3

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० 244 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

(Dr)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक / 69 / स्थापना-सेवा / 2015 निम्नलिखित उप पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -


| स. क्र. | उप पंजीयक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री राजेश कछावा | खरगोन | देपालपुर, जिला इंदौर |
| 2 | श्री वृजेन्द्र शुक्ला | उज्जैन | जावरा, जिला रतलाम |
| 3 | श्री सुनील चतुर्वेदी | आष्टा, जिला सीहोर | इंदौर क.-2 |
| 4 | श्री पुष्पराजसिंह बघेल | सतना | नागौद, जिला सतना |
| 5 | श्रीमती अंजलि मिश्रा | उज्जैन | देवास |
| 6 | श्री महमूद खान | इछावर, जिला सीहोर | दोराहा, जिला सीहोर |
| 7 | श्री सौरभ पाठक | शाहनगर, जिला पन्ना | कटनी |
| 8 | श्रीमती कमला सैनी | पथरिया, जिला दमोह | दमोह |
| 9 | श्री गयाप्रसाद शर्मा | लवकुशनगर, जिला छतरपुर | भाण्डेर, जिला दतिया |
| 10 | श्रीमती सुमनसिंह परिहार | बुदनी, जिला सीहोर | मउगंज, जिला रीवा |
| 11 | श्री पंचमसिंह रावत | शाजापुर | कोलारस, जिला शिवपुरी |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

निरंतर.....2

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० 245/स्थापना-सेवा/2015 भोपाल, दिनांक 19.05.2015
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निरंतर....3

5. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।



महानिरीक्षक पंजीयन
N/A मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक / 63 / स्थापना-सेवा / 2015 निम्नलिखित पंजीयन लिपिकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स. क्र. | पंजीयन लिपिक का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अवधबिहारी त्रिपाठी | उप पंजीयक कार्यालय नौगांव, जिला छतरपुर | उप पंजीयक कार्यालय शाहनगर, जिला पन्ना |
| 2 | सुश्री श्वेता चंदेरिया | उप पंजीयक कार्यालय ग्वालियर क.-1 | उप पंजीयक कार्यालय, मुरैना |
| 3 | श्री अनिल कुमार द्विवेदी | उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर क.-2 | उप पंजीयक कार्यालय कटनी |
| 4 | श्री अशोक सिंह | उप पंजीयक कार्यालय, कटनी | उप पंजीयक कार्यालय, डिण्डोरी |
| 5 | श्री फुल्लू डोहले | उप पंजीयक कार्यालय, सिंगरौली | उप पंजीयक कार्यालय, सिवनी |
| 6 | श्री मानपाल सिंह रावत | उप पंजीयक कार्यालय पिछोर, जिला शिवपुरी | उप पंजीयक कार्यालय राधोगढ़, जिला गुना |
| 7 | सुश्री जयश्री हिरलानी | उप पंजीयक कार्यालय दोराहा, जिला सीहोर | उप पंजीयक कार्यालय, सीहोर |
| 8 | श्री हेमंत गोस्वामी | उप पंजीयक कार्यालय मुंगावली, जिला अशोकनगर | उप पंजीयक कार्यालय देवरी, जिला सागर |
| 9 | श्री योगेश सोलंकी | उप पंजीयक कार्यालय, मंदसौर | उप पंजीयक कार्यालय महेश्वर, जिला खरगौन |
| 10 | श्री प्रेमनारायण रावत | उप पंजीयक कार्यालय, विदिशा | उप पंजीयक कार्यालय करेरा, जिला शिवपुरी |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

निरंतर.....2

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक क्र० २५६ /स्थापना-सेवा/2015


भोपाल, दिनांक 19.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,; मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष,; मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

निरंतर.....3

5. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19.05.2015

क्रमांक/ 64/स्थापना-सेवा/2015 निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित स्थान पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है -

| स. क्र. | सहायक ग्रेड-1 का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री पी.डी. पटेल | जिला पंजीयक कार्यालय सागर | जिला पंजीयक कार्यालय ग्वालियर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय

निरंतर.....2

